उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-03/ग्यारह-2-2022-9(114)/2012-टी.सी.-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(220)-2022

लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उप धारा (1) तथा उप धारा-(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची II एवं अनुसूची IV में निम्नलिखित संशोधन करती हैः-

संशोधन

(एक) अनुसूची दो के भाग क में, क्रम संख्या 141 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी;

(दो) अनुसूची चार में, क्रम संख्या 5 में स्तम्भ संख्या 2, 3 एवं 4 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्र0 सं0	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
5	ऐवियेशन ट्र्बाइन फ्यूल (ड्यूटी पेड) या ऐवियेशन ट्र्बाइन फ्यूल (बोन्डेड)	निर्माता या आयातकर्ता	1 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना तारीख 04 जनवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव